रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112021-230956
CG-DL-E-03112021-230956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2021/कार्तिक 12, 1943
No. 632] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021/KARTIKA 12, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 780(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सम्पूर्ण खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द जहां कहीं वे आते हैं, [नियम 4 के उप-नियम (1) के सिवाय], के स्थान पर "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे;

3. मूल नियमों में, नियम 3 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(3) इन संपूर्ण नियमों में, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां कहीं भी भारतीय खान ब्यूरो या उसके अधिकारियों की कोई शक्ति, कार्य या उत्तरदायित्व विनिर्दिष्ट हैं या भारतीय खान ब्यूरो या उसके अधिकारियों को कोई सूचना दी जानी है, तो उसे परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय या उसके अधिकारियों की शक्ति, कार्य या उत्तरदायित्व या उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में उक्त निदेशालय या उसके अधिकारियों को सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा समझा

जाएगा, जहां ऐसे परमाणु खनिजों का प्रवर्ग, परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 की अनुसूची ‘क’ के अधीन, निम्नलिखित रीति में, घोषित सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, अर्थात:-

(क) भारतीय खान ब्यूरो को कोई निर्देश परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय को निर्देश समझा जाएगा;

(ख) महा नियंत्रक या मुख्य खान नियंत्रक या खान नियंत्रक या क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को कोई निर्देश परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय के यथा स्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी, को निर्देश समझा जाएगा।”

4. मूल नियमों में, नियम 4 में, उप-नियम (1) में, “पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा का प्रत्येक धारक” शब्दों के स्थान पर “संयुक्त अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक या संयुक्त अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए चयनित अधिमानित बोलीदाता” शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल नियमों में, नियम 5 के उप-नियमों (1) और उप-नियम (2) में “और क्षेत्रीय नियंत्रक” शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. मूल नियमों में, नियम 6 में, महा नियंत्रक और क्षेत्रीय नियंत्रक” शब्दों के स्थान पर “महा नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल नियमों में, नियम 9 में,—

(i) उप-नियम (1), में, “सुसंगत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन की तिथि से बारह महीने की समापुति या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे की समाप्ति होने के बाद, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो,” शब्दों के स्थान पर “सुसंगत अवीक्षण अनुज्ञा पत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन की तारीख से बारह मास की समाप्ति या अवीक्षण अनुज्ञा पत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या संयुक्त अनुज्ञप्ति, की समाप्ति होने के बाद, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (3) में, “प्रपत्र ख में एक वार्षिक रिपोर्ट” शब्दों के स्थान पर “प्रपत्र ख के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (4) में, “पूर्वेक्षण परिचालन” शब्दों के स्थान पर "अवीक्षण या पूर्वेक्षण संक्रियाएं” शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उप-नियम (5) में,“पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति” शब्दों और अंकों के स्थान पर "अवीक्षण अनुज्ञा पत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति” शब्द रखे जाएंगे।

8. मूल नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (3) में, परंतुक में “नीचे” शब्द के स्थान पर “समतुल्य या उपरोक्त” शब्द रखें जाएंगे—

9. मूल नियमों में, नियम 12 में,—

(i) उप-नियम (3) में, “खनन पट्टे के अंतर्गत” शब्दों के पश्चात यथास्थिति, “खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 या परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट रीति में”, शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(4) विद्यमान खनन पट्टे के मामले में, खनन पट्टे के अधीन संपूर्ण संभावित खनिजीकृत क्षेत्र में यथास्थिति खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 या परमाणु खनिज रियायत नियम 2016, में विनिर्दिष्ट रीति में, इन नियमों के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर विस्तृत गवेषण (जी1 स्तर) किया जाएगा।

(iii) उप-नियम (4क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(4क) अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (6) के अधीन आने वाले खनन पट्टों के मामलों में, जहां ऐसे पट्टे की अवधि की समाप्ति की तारीख 31 मार्च, 2022 या उससे पूर्व है, खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 में विनिर्दिष्ट रीति में खनन पट्टे के अधीन संपूर्ण खनिजीकृत क्षेत्र पर सामान्य गवेषण (जी2 स्तर) करेंगे और 31 मार्च, 2022 या पट्टे की अवधि की समाप्ति की तारीख के पूर्व, इनमें से जो भी पहले हो, इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट रीति में एक भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और राज्य सरकार तथा भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्तुत करेंगे।

(4ख) उप-नियम (3) और उप-नियम (4) के अधीन किए गए गवेषण के लिए, खनन पट्टाधारक, राज्य सरकार और भारतीय खान ब्यूरो को गवेषण कार्य पूरा होने के तीन मास के भीतर, खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 में विनिर्दिष्ट रीति में तैयार भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4ग) राज्य सरकार, इसके सत्यापन हेतु इस नियम के अधीन यथा प्रस्तुत भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट की तकनीकी लेखा परीक्षा करेगी और यदि पट्टाधारक यथा विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है तो राज्य सरकार, पट्टाधारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, ऐसा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जैसा यह उचित समझे।"

10. मूल नियमों में, नियम 18 में, "महानियंत्रक" शब्द जहां कहीं वे आते हैं, के पश्चात, "या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

11. मूल नियमों में, नियम 24 में, —

(i) उप-नियम (1) में, "खान को बंद करने" शब्दों के पश्चात "भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शुल्क सहित या खनन पट्टे के समग्र अथवा आंशिक क्षेत्र का अभ्यपर्ण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अंतिम खान बंदी योजना को प्रस्तुत नहीं करने पर यथास्थिति वित्तीय सुनिश्चयन या किसी खनन पट्टे को यथा लागू निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा जिसमें पट्टाधारक और राज्य सरकार के बीच खान विकास और उत्पादन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत की गई है।"

12. मूल नियमों में, नियम 26 में, उप-नियम (2) में "प्रत्येक वर्ष जुलाई से पहले दिन से पूर्व" शब्दों के पश्चात "वार्षिक विवरणी के साथ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

13. मूल नियमों में, नियम 27 में, उप-नियम (1) में, —

(i) 'क' श्रेणी की खानों के लिए तीन लाख रूपये और 'ख' श्रेणी की खानों के लिए दो लाख रूपये" शब्दों और अंकों के स्थान पर "श्रेणी 'क' खानों के लिए पांच लाख रूपये और श्रेणी 'ख' खानों के लिए तीन लाख रूपये" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्: —

"परंतु यह और कि ऐसे खनन पट्टे के लिए उप नियम (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे जिसमें पट्टाधारक और राज्य सरकार के बीच खान विकास और उत्पादन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत की गई है।"

14 . मूल नियमों में, नियम 31 में,—

(i) उप-नियम (1) में, खंड (ख) में, "पत्र" शब्द के स्थान पर "टीका" शब्द रखा जाएगा;

(ii) उप-नियम (4) में, "तीन महीने के भीतर" शब्दों के स्थान पर "तीन मास के भीतर, उस वर्ष से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत खनन योजना के संबंधित प्रस्ताव को भी दर्शा रहा है" शब्द अत:स्थापित किए जाएंगे।

15. मूल नियमों में, नियम 32 में, उप-नियम (1) में, खंड (क) में "चराई भूमि और सतह लाभकारी संयत्रों पर विलेय" शब्दों के के स्थान पर "चरागाह, सतह सज्जीकरण संयंत्रों" शब्द रखे जाएंगे।

16. मूल नियमों में, नियम 33 में 'नियम 32 के अंतर्गत अनुरक्षित' शब्दों के पश्चात "वार्षिक विवरणी के साथ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

17. मूल नियमों में, नियम 34 में, उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"(1क) सभी योजनाओं और खंडों को अंतर वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली (डीजीपीएस) अथवा कुल स्टेशन या ड्रोन सर्वेक्षण के संयोजन का प्रयोग कर या पट्टों की कुछ या सभी श्रेणी के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस संबंध में यथा विनिर्दिष्ट का प्रयोग कर तैयार किया जाएगा।"

18. मूल नियमों में, नियम 34 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात : —

“**34क खनन पट्टा क्षेत्र के डिजीटल चित्र**.— (1) प्रत्येक पट्टाधारक जिसके पास : —

(क) किसी विशेष वर्ष में एक मिलियन टन या उससे अधिक की वार्षिक उत्खनन योजना है; अथवा

(ख) पचास हेक्टेयर या उससे अधिक का पट्टा क्षेत्र है,

वह प्रत्येक वर्ष के अप्रैल या मई मास में पट्टा क्षेत्र का और पट्टा सीमा के बाहर सौ मीटर तक ड्रोन सर्वेक्षण करेगा तथा प्रत्येक वर्ष के जुलाई के पहले दिन या उससे पूर्व महानियंत्रक को ऐसे सर्वेक्षण में लिए तैयार [डिजीटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) और ऑर्थोमोसिक] चित्र या इस संबंध में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत करेगा;

(2) प्रत्येक पट्टाधारक, उप-नियम(1) के अधीन आने वाले पट्टाधारकों से भिन्न मेटाडेटा के साथ जियोटीआईएफएफ जैसे मानक प्रारूपों या इस संबंध में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रपत्र में उस वर्ष के जुलाई के प्रथम दिन को या उससे पूर्व महानियंत्रक को, प्रत्येक वर्ष के अप्रैल से जून मास में लिया गया पट्टा क्षेत्र और पट्टा सीमा के बाहर सौ मीटर के हाई रिजोल्यूशन जियोरिफ्रेन्सड अर्थो-रेकटीफाइड मल्टीस्पेक्ट्रल उपग्रह चित्रों की सॉफ्ट प्रति प्रस्तुत करेगा ।

परंतु जिस पट्टाधारक ने उप-नियम (3) के अधीन चित्रों को प्रस्तुत कर दिया है उसे उस वर्ष के लिए इस उप-नियम के अधीन चित्रों को प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा जिस वर्ष में उप-नियम (3) के अधीन चित्र प्रस्तुत किए गए हैं।

(3) प्रत्येक पट्टाधारक अनुमोदन हेतु भारतीय खान ब्यूरो को किसी खनन योजना दस्तावेज अथवा उसके उपांतरण प्रस्तुत करने से पूर्व छह मास के भीतर अपने पट्टा क्षेत्र तथा पट्टा सीमा के बाहर सौ मीटरों तक का ड्रोन सर्वेक्षण करेगा और ऐसे सर्वेक्षण में प्राप्त प्रसंस्कृत [डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) और ऑर्थोमोसिक] चित्रों या इस संबंध में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रारूप में खनन योजना के अनुमोदन या उपांतरण हेतु आवेदन सहित संबंधित क्षेत्रीय खान नियंत्रक और महानियंत्रक को प्रस्तुत करेगा:

परंतु पट्टाधारक जिसने खनन पट्टा दस्तावेज को प्रस्तुत करने से ठीक पूर्व वाले जुलाई के प्रथम दिन या उससे पूर्व उप-नियम (1) के अधीन चित्र प्रस्तुत किए हैं उसे उप-नियम (3) के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

(4) सभी अधिमानित बोलीदाता, जिन्हें खनन पट्टे के अनुदान हेतु आशय पत्र जारी किया गया है, वे नीलामी के माध्यम से दिए गए खनन ब्लॉक का ब्लॉक सीमा से बाहर सौ मीटरों तक का ड्रोन सर्वेक्षण करेंगे तथा खनन योजना सहित ऐसे सर्वेक्षण से प्राप्त प्रसंस्कृत [डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) और ऑर्थोमोसिक] चित्रों या इस संबंध में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रारूप में क्षेत्रीय नियंत्रक और महानियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे।

(5) ड्रोन सर्वेक्षण करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया और प्रस्तुत किए जाने वाले डेटा के प्रपत्र को समय-समय पर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु भारतीय खान ब्यूरो, ड्रोनों के प्रयोग को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन ड्रोनों के प्रयोग पर किसी प्रतिबंध के मामले में, सर्वेक्षण और डेटा या चित्रों की प्रस्तुति के लिए उप-नियम (1) से उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट पद्धति से भिन्न कोई वैकल्पिक पद्धति निर्धारित कर सकेगा।”

19. मूल नियमों में, नियम 35 में, —

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: —

“(2) किसी खनन पट्टा का प्रत्येक धारक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में स्टार रेटिंग के टेम्पलेट के अनुसार खनन और सहबद्ध क्रियाकलापों की निगरानी करेगा और नियम 34क के अधीन खनन पट्टे के डिजिटल चित्रों के साथ पिछले वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम दिन से पूर्व अपनी स्व-मूल्यांकित रिपोर्ट क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा:

परंतु उन खनन पट्टाधारकों, जो यथाविनिर्दिष्ट टेम्पलेट को नहीं भरते हैं और प्रस्तुत नहीं करते हैं, को उप-नियम (4) के अधीन यथा उपबंधित अर्हक स्टार रेटिंग से निम्न का स्व-निर्धारित स्टार रेटिंग समझा जाएगा और तदनुसार कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।”;

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात: —

"(4) प्रत्येक खनन पट्टाधारक, 27 फरवरी, 2017 से यथास्थिति चार वर्षों की अवधि या खनन संक्रियाओं के प्रारंभ की तारीख से चार वर्षों के भीतर, कम से कम तीन स्टार प्राप्त करेगा और तत्पश्चात उसे वर्ष-दर-वर्ष बनाए रखेगा।

(4क) क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो का प्राधिकृत अधिकारी उन खानों में खनन संक्रियाएं स्थगित कर सकेगा जहां—

(क) 27 फरवरी, 2017 से यथास्थिति, चार वर्षों की अवधि या खनन संक्रियाओं के प्रारंभ की तारीख से चार वर्षों, के भीतर कम से कम तीन स्टार रेटिंग प्राप्त नहीं की गई है, या

(ख) वर्ष दर वर्ष आधार पर कम से कम तीन स्टार रेटिंग बनाए नहीं रखी गई है, या

(ग) जहां पट्टेदार यथास्थिति, स्टार रेटिंग की अर्हता प्राप्त करने या स्टार रेटिंग टेम्पलेट प्रस्तुत करने के लिए पैंतालीस दिनों का कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात्, स्टार रेटिंग टेम्पलेट प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

(4ख) उप-नियम(2) में यथा उल्लिखित टेम्पलेट को फाइल नहीं करने की दशा में, खनन पट्टाधारक, ऐसी देरी के लिए भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को दस हजार रूपये प्रतिदिन संदाय करने का दायी होगा।";

(iii) उप-नियम (5) में, "उप-नियम (3), (4) और (5)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उप-नियमों (3), (4), (4क), (4ख) और (5)" शब्दों, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

20. मूल नियम में, नियम 45 में,—

(i) उप-नियम (1), (2) और (4) में "खनन पट्टा", शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "खनिज रियायत"शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (1), (2), (4), (6), (7), (9), (11) और (12) में,"निर्यात" शब्द, जहां कहीं वह आता है, के स्थान पर "निर्यात या आयात"शब्द रखे जाएंगे:

(iii) उप-नियम (1) में, "देश में खानों" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iv) उप-नियम (2) में, "लीज विलेख के रजिस्ट्रीकरण" शब्दों के स्थान पर "यथा स्थिति, परमिट, अनुज्ञप्ति या पट्टा विलेख का अनुदान या रजिस्ट्रीकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उप-नियम (5) में,—

(क) "क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के किसी भी अन्य प्राधिकृत अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "क्षेत्रीय नियंत्रक और भारतीय खान ब्यूरो के किसी भी प्राधिकृत अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (क) का लोप किया जाएगा;

(vi) उप-नियम (7) में,—

(क) "दैनिक या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (क) में, "राज्य सरकार को सलाह दे सकते हैं" शब्दों के स्थान पर "या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकता है" शब्द रखे जाएंगे; तथा "सभी खनन कार्रवाईयों" शब्दों के स्थान पर "और प्रेषण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ग) खंड (ग) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(vii) उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(7क)(i) उप-नियम (7) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी कार्रवाई को करने से पूर्व, संबंधित प्राधिकारी यथा स्थिति, किसी खनन पट्टा धारक या व्यकृति या कंपनी को उप-नियम (7) के अधीन किए गए उल्लंघनों को सूचित करते हुए तथा कारणों के बारे में पूछते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, कि क्यों नहीं ऐसे धारक, व्यक्ति या

कंपनी के विरूद्ध उप-नियम (7) के अधीन कार्रवाई की जाए और ऐसी सूचना में वर्णित उल्लंघन के उत्तर और सुधार हेतु तीस दिनों की अवधि प्रदान करेगा;

(ii) यदि ऐसा धारक, व्यक्ति या कंपनी,—

(क) कारण बताओ नोटिस में वर्णित उल्लंघन में सुधार करता है और नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर, विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से उल्लंघन के सुधार के दिन तक की अवधि के लिए अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी रकम जमा करता है, तो आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(ख) तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं देता है या उल्लंघन में सुधार नहीं करता है तो खनन प्रचालनों और प्रेषणों को निलंबित कर दिया जाएगा और उप-नियम (7) के अधीन कोई कार्रवाई की जा सकेगी;

(iii) खनन प्रचालनों का निलंबन, उल्लंघन-सह-कारण बताओ नोटिस में यथा इंगित उल्लंघन में सुधार और विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से उल्लंघन में सुधार की तारीख तक की अवधि के लिए अनुसूची-II में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसी रकम जमा कराने के बाद ही रद्द किया जा सकेगा।"

21. मूल नियमों में, नियम 49 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"49. खान के नाम के परिवर्तन को सूचित किया जाना- राज्य सरकार स्वयं या पट्टाधारक से आवेदन की प्राप्ति पर, खान के नाम को परिवर्तित कर सकेगी और ऐसा परिवर्तन होने पर, वह ऐसे परिवर्तन से तीस दिनों के भीतर पट्टाधारक और क्षेत्रीय नियंत्रक को अवगत करायेगी।"

22. मूल नियमों में, नियम 55 में,—

(i) उप-नियम (1) में,—

(क) खंड 3 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: —

"3. प्रत्येक खनन पट्टाधारक, यदि: —

(i) पच्चीस हेक्टेयर के बराबर या उससे अधिक पट्टा क्षेत्र वाली श्रेणी 'क' खानें हैं, तो एक पूर्णकालिक खनन इंजीनियर और एक भूविज्ञानी नियोजित करेगा;

(ii) पच्चीस हेक्टेयर से कम पट्टा क्षेत्र वाली श्रेणी 'क' खानें और श्रेणी 'ख' खानें हैं; तो एक अंशकालिक खनन इंजीनियर और एक अंशकालिक भूविज्ञानी नियोजित करेगा:

परंतु पूर्णत: मशीनीकृत श्रेणी 'क' खानों के मामले में, खनन इंजीनियरों और भूविज्ञानियों के पास खनन के क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता में काम करने का न्यूनतम पांच वर्षों का व्यवसायिक अनुभव होगा";

(ख) खंड 3 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"4. ऐसी नियुक्ति या निलंबन के नोटिस की सूचना को नियम 45 के अधीन मासिक और वार्षिक विवरणी में दिया जाएगा।"

(ii) उप-नियम (6) में,—

(क) "खनन इंजीनियर : एक केंद्रीय अधिनियम" से आरंभ होने वाले और "या अन्य समकक्ष अर्हता" से अंत होने वाले पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"पूर्णकालिक खनन इंजीनियर:	केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या सम्मिलित विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त खनन इंजीनियरी में डिग्री, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान भी है या खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ-साथ सम्यक रूप से मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा अनुदत्त खनन और खान

	सर्वेक्षण में समतुल्य अर्हता या डिप्लोमा।
अंशकालिक खनन इंजीनियर:	केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या सम्मिलित विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त खनन इंजीनियरी में डिग्री जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान भी है या खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी सक्षमता प्रमाणपत्र या फोरमैन सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ-साथ सम्यक रूप से मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त खनन और खान सर्वेक्षण में समतुल्य अर्हता या डिप्लोमा।”

23. मूल नियमों में, नियम 62 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“61. शास्ति— (1) नियम 4 से 9, नियम 11 के उप नियम (1), (2), और (3), नियम 13 से 17, 21, 24, 26, 27, 30, 32 से 42, 44, 45, 47, 48, 50, 52 से 54, 58, 60, 63, 67 और 72 का उल्लंघन ऐसी अवधि के कारावास जिसे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माना जिसे पांच लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों के साथ दंडनीय होगा और यदि इस प्रकार का उल्लंघन, ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद भी जारी रहने की दशा में, प्रतिदिन पचास हज़ार रूपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय हो सकेगा।

(2) नियम 11 के उप नियम (4), नियम 12, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 46, 51 और 55 का कोई भी उल्लंघन अनुसूची-III में यथाविनिर्दिष्ट रकम के जुर्माने से दंडनीय होगा।

(3) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों, जहां ऐसे परमाणु खनिज की श्रेणी का प्रारंभिक मूल्य परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 की अनुसूची-क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य के यथास्थिति, बराबर या उससे अधिक है, के संबंध में महानियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट ऐसी राशि को सरकार के खाते में जमा कराने हेतु, इन नियमों के अधीन किसी भी दंडनीय अपराध पर मुकदमा चलाने से पूर्व या पश्चात् उस अपराध के संबंध में न्यायालय में शिकायत करने के लिए अधिनियम की धारा 22 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को भुगतान करने पर, उसके द्वारा उस अपराध को शमन किया जा सकेगा:

परंतु केवल जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध के मामले में, ऐसी राशि, उस अपराध के लिए अधिरोपित की जाने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि जहां इन नियमों के अधीन अपराध शमनीय है, वहां ऐसे शमन किए गए अपराध के संबंध में अपराधी के विरूद्ध, यथास्थिति, कोई कार्यवाही या अगली कार्यवाही नहीं की जाएगी; और अपराधी यदि अभिरक्षा में है, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा।”

24. मूल नियमों में, नियम 71 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:—

“71. फार्मेट, टेम्प्लेटों और नियम पुस्तकों का पुनर्विलोकन— यथास्थिति, भारतीय खान ब्यूरो या निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, आवीक्षण स्कीम, पूर्वेक्षण स्कीम, खनन योजना, खान समापन योजना के फॉर्मेटों तथा इसके द्वारा प्रदत्त खानों की स्टार रेटिंग के टेम्प्लेटों को पणधारियों से परामर्श के पश्चात्, उचित समझे गये ऐसे अंतराल पर, पुनरीक्षित या अद्यतित कर सकेगा।**”**

25. मूल नियमों में, नियम 71 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“71क. किसी अपेक्षा के पूर्ण होने का दिन — जब इन नियमों के अधीन किसी अपेक्षा के पूर्ण होने का दिन, किसी सार्वजनिक छुट्टी को पड़ रहा है, तो इसके पूर्ण होने का दिन, अगले कार्य दिवस को समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए “सार्वजनिक अवकाश” में शनिवार, रविवार और यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक छुट्टी सम्मिलित हैं।**”**

26. मूल नियमों में, अनुसूची को अनुसूची—1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित अनुसूची—I के पश्चात् —

(i) प्ररूप ट में, "निर्यात" शब्द, जहां कहीं वह आता है, के स्थान पर "निर्यात या आयात," शब्द रखे जाएंगे।

(ii) अनुसूची—1 के पश्चात, निम्नलिखित अनुसूचियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"अनुसूची-2

[नियम 45 (7क) देखें]

नियम 45 के अधीन उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली रकम

<table>
<tr><th>मद</th><th>रकम (रूपये में)</th><th>स्पष्टीकरण</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या प्ररूप च1, च2, च3 में मासिक विवरणी में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर</td><td>नियम में यथा-विनिर्दिष्ट विवरणी जमा करने की नियत तारीख के पश्चात उल्लंघन में सुधार तक प्रति दिन 10,000/- रूपये</td><td rowspan="4">पट्टाधारक द्वारा किए जाने वाले, आवश्यक सुधारों को सम्मिलित करने हेतु भारतीय खान ब्यूरो द्वारा संदर्भित वापसी विवरणी के मामले में और यदि आबंटित समय सीमा के भीतर सुधार कर लिया जाता है और उसके बाद भारतीय खान ब्यूरो द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, तो ऐसे सुधारों की मध्यावधि के लिए कोई रकम, देय नहीं होगी।

ऐसे मामलों में सुधार नहीं किए जाने पर यथा विनिर्दिष्ट भुगतान करना होगा।</td></tr>
<tr><td>नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या प्ररूप छ1, छ2, छ3 में वार्षिक विवरणी में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर</td><td>नियम में यथा-विनिर्दिष्ट विवरणी जमा करने की नियत तारीख के पश्चात उल्लंघन में सुधार तक प्रति दिन 10,000/- रूपये</td></tr>
<tr><td>नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने या प्ररूप ठ में मासिक विवरणी में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर</td><td>नियम में यथा-विहित विवरणी जमा करने की नियत तारीख के पश्चात उल्लंघन में सुधार तक प्रति दिन 5,000/- रूपये</td></tr>
<tr><td>नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या प्ररूप ड में वार्षिक विवरणी में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर</td><td>नियम में यथा-विहित विवरणी जमा करने की नियत तारीख के पश्चात उल्लंघन में सुधार तक प्रति दिन 5,000/- रूपये</td></tr>
</table>

अनुसूची-3

[नियम 62(2) देखें]

<u>नियम जिनका उल्लंघन जुर्माने से दण्डनीय होगा</u>

नियम संख्या	नियम का पार्श्व शीर्ष	जुर्माने की रकम (रूपये में)
(1)	(2)	(3)
नियम 11 का उप-नियम(4)	खनन पट्टे के अधीन खनन प्रचालन	अधिकतम 5,00,000/- के अध्यधीन 2,000/- प्रतिदिन
12	पूर्वेक्षण और खनन प्रचालन	5,00,000/-
18	किया जाने वाला सज्जीकरण अध्ययन	5,00,000/-
19	मशीनरी और संयंत्र	5,00,000/-
20	खान खोलने हेतु सूचना	5,00,000/-

23	प्रगामी खान बंदी योजना प्रस्तुत करना	5,00,000/-
28	खानों में अस्थायी रूप से कार्य बंद की सूचना और पट्टाधारकों की बाध्यताएं	5,00,000/-
29	खान को पुन: खोलने की सूचना	5,00,000/-
46	कतिपय नियुक्तियों की सूचना	अधिकतम 1,00,000 के अध्यधीन 2,000/-प्रतिदिन
51	खनन पट्टे के समामेलन की सूचना	नियम में यथा विहित नियत तारीख के पश्चात अधिकतम 1,00,000 के अध्यधीन 2,000 रूपये प्रतिदिन
55	भूवैज्ञानिकों और खनन इंजीनियरों का नियोजन	5,00,000/-

[फा. सं. एम.VI-8/1/2021-माइंस VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 169(अ) तारीख 27 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 570(अ) तारीख 13 अगस्त, 2019 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2021.

G.S.R. 780(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Throughout in the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred to as the principal rules), for the words "prospecting licence-cum-mining lease" and "prospecting license-cum-mining lease", wherever they occur [except sub-rule (1) of rule 4], the words "composite licence" shall be substituted.

3. In the principal rules, in rule 3, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) Throughout these rules, wherever any power, function or responsibility of the Indian Bureau of Mines or its officers is specified or any information is to be submitted to the Indian Bureau of Mines or its officers, the same shall be deemed as power, function or responsibility of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research or its officers or requirement of submission of information to the said Directorate or its officers in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, in the following manner, namely:-

(a) any reference to the Indian Bureau of Mines, to be deemed as reference to the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research;

(b) any reference to the Controller General or the Chief Controller of Mines or the Controller of Mines or the Regional Controller or the authorised officer of Indian Bureau of Mines, to be deemed as reference to the Director or as the case may be, the authorised officer of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.".

4. In the principal rules, in rule 4, in sub-rule (1), for the words "prospecting license-cum-mining lease" the words "composite licence or the preferred bidder selected for grant of composite licence" shall be substituted.

5. In the principal rules, in sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule 5, the words "and Regional Controller" shall be omitted.

6. In the principal rules, in rule 6, for the words "the Controller General and Regional Controller", the words "Controller General" shall be substituted.

7. In the principal rules, in rule 9,—

(i) in sub-rule (1), for the words "from the date of execution of the relevant prospecting licence deed or the expiry of the prospecting licence or prospecting license-cum-mining lease, whichever is earlier", the words "from the date of execution of the relevant reconnaissance permit, prospecting licence deed or the expiry of the reconnaissance permit, prospecting licence or composite licence, whichever is earlier" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), for the words "yearly report in Form B", the words "yearly report along with Form B" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (4), for the words "prospecting operations", the words "reconnaissance or prospecting operations" shall be substituted;

(iv) in sub-rule (5), for the words "prospecting licence", the words and figure "reconnaissance permit, prospecting licence" shall be substituted.

8. In the principal rules, in rule 11, in sub-rule (3), in the proviso, for the word "below", the words "equal to or above" shall be substituted.

9. In the principal rules, in rule 12,—

(i) in sub-rule (3), after the words "under the mining lease," the words, brackets and figures "in the manner specified in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 or the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, as the case may be," shall be inserted;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(4) In the case of existing mining leases, detailed exploration (G1 level) over the entire potentially mineralised area under the mining lease shall be carried out in the manner specified in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 or the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, as the case may be, within a period of five years from the date of commencement of these rules.";

(iii) for sub-rule (4A), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(4A) In case of mining leases covered under sub-section (6) of section 8A of the Act where the date of expiry of the period of such lease is on or before 31st March, 2022, the holders of such mining lease shall carry out general exploration (G2 level) over the entire mineralised area under the mining lease in the manner specified in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 and prepare and submit to the State Government and the Indian Bureau of Mines, a Geological Study Report prepared in the manner specified in the said rules before the 31st March, 2022 or date of expiry of lease, whichever is earlier.

(4B) For the exploration done under sub-rule (3) and (4), the holder of mining lease shall submit to the State Government and the Indian Bureau of Mines, a Geological Study Report prepared in the manner specified in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, within three months after the completion of the exploration work.

(4C) The State Government shall conduct technical audit of Geological Study Report as submitted under this rule for its verification and in case lease holder fails to perform his duties as so specified, the State Government may, after giving the lease holder an opportunity of being heard, take such action for enforcing compliance, as it deems fit.".

10. In the principal rules, in rule 18, after the words "Controller General", wherever they occur, the words "or the authorised officer of Indian Bureau of Mines" shall be inserted.

11. In the principal rules, in rule 24,—

(i) in sub-rule (1), after the words, "closure of the mine", the words "or surrender of the entire or part area of the mining lease, accompanied by such fee as may be specified by the Indian Bureau of Mines" shall be inserted;

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) Non-submission of final mine closure plan within the period specified under sub-rule (1) will attract the forfeiture of financial assurance, or, as the case may be, performance security as applicable for a mining lease wherein the Mine Development and Production Agreement has been signed between the lessee and the State Government and performance security has been submitted.".

12. In the principal rules, in rule 26, in sub-rule (2), after the words "before 1st day of July every year", the words "along with annual return" shall be inserted.

13. In the principal rules, in rule 27, in sub-rule (1),—

(i) for the words and letters "three lakh rupees for Category 'A' mines and two lakh rupees for Category 'B' mines", the words and letters "five lakh rupees for Category 'A' mines and three lakh rupees for Category 'B' mines" shall be substituted;

(ii) for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that the provisions of sub-rule (1) shall not be applicable for a mining lease wherein the Mine Development and Production Agreement has been signed between the lessee and the State Government and performance security has been submitted.".

14. In the principal rules, in rule 31,—

(i) in sub-rule (1), in clause (b), for the words "the letter", the word "observation" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (4), for the words "within three months", the words "showing also the respective proposal of approved mining plan for various activities pertaining to that year, within three months" shall be inserted.

15. In the principal rules, in rule 32, in sub-rule (1), in clause (a), for the words "grazing land and subsidence on the surface beneficiation plants", the words "grazing land, surface beneficiations plants" shall be substituted.

16. In the principal rules, in rule 33, after the words "maintained under rule 32", the words "alongwith the annual return" shall be inserted.

17. In the principal rules, in rule 34, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) All plans and sections shall be prepared by using a combination of Differential Global Positioning System (DGPS) or Total Station or by the use of drone survey or as may be specified in this regard by the Indian Bureau of Mines in relation to certain or all category of leases.".

18. In the principal rules, after rule 34, the following rule shall be inserted, namely:—

"**34A. Digital aerial images of mining lease area.—** (1) Every lessee having—

(a) an annual excavation plan of one million tonne or more in a particular year; or

(b) leased area of fifty hectare or more,

shall carry out a drone survey of the leased area and upto hundred metres outside the lease boundary in the month of April or May every year and submit the processed output [digital elevation model (DEM) and Orthomosaic] images obtained from such survey or any other format

as may be specified by the Indian Bureau of Mines in this regard to the Controller General on or before 1st day of July every year.

(2) Every lessee, other than those covered under sub-rule (1), shall submit soft copy of high resolution Georeferenced Ortho-rectified Multispectral satellite images of the leased area and upto hundred metres outside the lease boundary taken in the month of April to June of every year, to the Controller General on or before 1st day of July of the that year in the standards formats such as GeoTIFF along with metadata or any other format as may be specified by the Indian Bureau of Mines in this regard:

Provided that the lessee who has submitted images under sub-rule (3) shall not be required to submit the images under this sub-rule for the year in which images are submitted under sub-rule (3).

(3) Every lessee shall carry out a drone survey of his leased area and upto hundred metres outside the lease boundary within six months before submission of any mining plan document or modification thereto to the Indian Bureau of Mines for approval and shall submit processed output [digital elevation model (DEM) and Orthomosaic] images obtained from such survey or any other format as may be specified by the Indian Bureau of Mines in this regard to the concerned Regional Controller of Mines and the Controller General along with the application for approval or modification of mining plan:

Provided that the lessee who has submitted the images under sub-rule (1) on or before the 1st day of July falling immediately before submission of mining plan document, shall not be required to submit the same under sub-rule (3).

(4) All preferred bidders who are issued with a letter of intent for grant of a mining lease shall carry out a drone survey of the mining block granted through auction and upto hundred metres outside the block boundary and submit the processed output [digital elevation model (DEM) and Orthomosaic] images obtained from such survey or any other format as may be specified by the Indian Bureau of Mines in this regard along with the mining plan to the Regional Controller and the Controller General.

(5) The standard operating procedure for carrying out the drone survey and form of the data to be submitted shall be specified by the Indian Bureau of Mines from time to time:

Provided that the Indian Bureau of Mines may specify any alternate mechanism for survey and submission of data or images other than the mechanism specified in sub-rules (1) to (4), in case of any restriction on use of drones under any law for the time being in force regulating the use of drones.".

19. In the principal rules, in rule 35,—

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) Every holder of a mining lease shall monitor his mining and allied activities as per the template of star rating in the format specified in this behalf by the Indian Bureau of Mines from time to time, and shall submit online its self-assessment report before the 1st day of July every year for the previous financial year, alongwith the digital images of mining lease area under rule 34A, to the Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines:

Provided that those mining lease holders who do not fill and submit the template as specified shall be deemed self-assessed star rating below the qualifying star rating as provided under sub-rule (4) and action shall be initiated accordingly.";

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(4) Every holder of a mining lease shall achieve at least three-star rating within a period of four years with effect from the 27th February, 2017 or four years from the date of commencement of mining operations, as the case may be, and thereafter maintain the same on year- on- year basis.

(4A) The Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines may suspend the mining operations in those mines where,—

(a) at least three-star rating has not been achieved within a period of four years with effect from the 27th February, 2017 or four years from the date of commencement of mining operations, as the case may be, or

(b) at least three-star rating has not been maintained on year-on-year basis, or

(c) where the lessee has failed to submit the star rating template,

after giving a show cause notice of forty-five days to qualify for star rating or submit star rating template, as the case may be.

(4B) In case of non-filing of template as stated in sub-rule (2), the holder of mining lease shall be liable to pay an amount of ten thousand rupees per day for such delay to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines.";

(iii) in sub-rule (5), for the words, brackets and figures "sub-rules (3), (4) and (5)", the words, brackets and figures "sub-rules (3), (4), (4A), (4B) and (5)" shall be substituted.

20. In the principal rules, in rule 45,—

(i) in sub-rules (1), (2) and (4), for the words "mining lease", wherever they occur, the words "mineral concession" shall be substituted;

(ii) in sub-rules (1), (2), (4), (6), (7), (9), (11) and (12), for the word "export", wherever they occur, the words "export or import" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (1), the words "mines in the country" shall be omitted;

(iv) in sub-rule (2), for the words and figure "registration of the lease deed", the words "grant or registration of the permit, licence or lease deed, as the case may be," shall be substituted;

(v) in sub-rule (5),—

(a) for the word "Regional Controller or any other authorised official", the words "Regional Controller and the authorised officer" shall be substituted;

(b) clause (a) shall be omitted;

(vi) in sub-rule (7),—

(a) the words "daily or" shall be omitted;

(b) in clause (a), for the words "may advise the State Government to" the words "or the authorised officer of the State Government may" shall be substituted; and after the words "all mining operations", the words "and dispatches" shall be inserted;

(c) in clause (c), the proviso shall be omitted;

(vii) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(7A) (i) Before taking any action specified under sub-rule (7), the relevant authority shall issue a show cause notice to the holder of a mining lease or the person or company, as the case may be, informing about the violation made under sub-rule (7) and asking reasons as to why action under sub-rule (7) shall not be taken against such holder, person or company and shall give thirty days time for reply and rectification of the violation stated in such notice;

(ii) if such holder, person or company,—

(a) rectifies the violation stated in the show cause notice and deposit within the said period of thirty days, such amount as specified in Schedule II for the period from due date of submission of return till the date of rectification of violation, no further action shall be taken;

(b) does not provide satisfactory reply or rectify the violation within the said period of thirty days, the mining operations and dispatches may be suspended and any action under sub-rule (7) may be initiated;

(iii) the suspension of mining operations may be revoked only after the rectification of violation as indicated in the violation-cum-show cause notice and after deposition of such amount as specified

in Schedule II for the period from due date of submission of return till the date of rectification of violation.”.

21. In the principal rules, for rule 49, the following rule shall be substituted, namely:—

“**49. Change in name of mine to be intimated.**— The State Government may, on its own or on receipt of an application from the lessee, change the name of a mine and upon such change it shall intimate the same to the lessee and Regional Controller within thirty days of such change.”.

22. In the principal rules, in rule 55,—

(i) in sub-rule (1),—

(a) for clause 3, the following clause shall be substituted, namely: —

“3. every holder of a mining lease shall employ, in case of—

(i) category ‘A’ mines having leased area equal to or above twenty-five hectares, a whole-time mining engineer and a geologist;

(ii) category ‘A’ mines having lease area below twenty-five hectares and category ‘B’ mines, a part-time mining engineer and a part-time geologist:

Provided that in the case of fully mechanised category ‘A’ mines, the mining engineers and geologist shall have minimum five years of professional experience of working in a supervisory capacity in the field of mining.”;

(b) after clause 3, the following clause shall be inserted, namely: —

“4. Notice of such appointment or termination shall be intimated in the monthly and annual return to be submitted under rule 45.”;

(ii) in sub-rule (6),—

(a) for the paragraph opening with the words “Mining Engineer: A degree in Mining” and ending with the words “or any equivalent qualification.”, the following paragraphs shall be substituted, namely:—

“Full time Mining Engineer: A degree in Mining Engineering granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institution recognised by the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification or diploma in mining and mine surveying granted by a duly recognised institute along with a second class certificate of competency issued by the Director General of Mines Safety.

Part time Mining Engineer: A degree in Mining Engineering granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institution recognised by the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification or diploma in mining and mine surveying granted by a duly recognised institute along with a second class certificate of competency or a foreman certificate of competency issued by the Director General of Mines Safety.”.

23. In the principal rules, for rule 62, the following rule shall be substituted, namely:—

“**62. Penalty.**— (1) Any contravention of rules 4 to 9, sub-rule (1), (2) and (3) of rule 11, 13 to 17, 21, 24, 26, 27, 30, 32 to 42, 44, 45, 47, 48, 50, 52 to 54, 58, 60, 63, 67 and 72 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to rupees five lakhs, or with both, and in the case of a continuing contravention, with

additional fine which may extend to rupees fifty thousand for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

(2) Any contravention of sub-rule (4) of rule 11, rules 12, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 46, 51 and 55 shall be punishable with fine for an amount as specified in Schedule III.

(3) Any offence punishable under these rules may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by the person authorised under section 22 of the Act to make a complaint to the court with respect to that offence, on payment to that person, for credit to the Government, of such sum specified in this regard by the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, as the case may be:

Provided that in case of an offence punishable with fine only, such sum shall not exceed the maximum amount of fine which may be imposed for that offence:

Provided further that where an offence is compounded under these rules, no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be made against the offender in respect of the offence so compounded, and the offender, if in custody, shall be released forthwith.".

24. In the principal rules, for rule 71,the following rule shall be substituted, namely:**—**

"71. **Review of format, templates and manuals**.**—** The Indian Bureau of Mines or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, may revise or update, at such interval as considered appropriate, after consultation with stakeholders, the formats of the scheme of reconnaissance, scheme of prospecting, mining plan, mine closure plan and the templates for Star Rating of mines provided by it.".

25. In the principal rules, after rule 71, the following rule shall be inserted, namely:**—**

"71A. **Day of completion of any requirement**.— When the day of completion of any requirement under these rules is falling due on a public holiday, the day of completion shall be deemed to be due on the next working day.

Explanation.— For the purposes of these rules, the expression "public holiday" includes Saturday, Sunday and any other day declared to be a public holiday by the Central Government or the State Government, as the case may be.".

26. In the principal rules, the Schedule shall be numbered as Schedule-I and after Schedule-I as so numbered, **—**

(i) in Form K, for the word, "export", wherever it occurs, the words "export or import" shall be substituted;

(ii) after Schedule-I, the following Schedules shall be inserted, namely: **—**

"SCHEDULE-II

[*see* rule 45(7A)]

AMOUNT TO BE PAID IN CASE OF VIOLATION UNDER RULE 45

Item	**Amount (in Rs.)**	**Explanation**
(1)	**(2)**	**(3)**
Non-submission or incomplete/ wrong/ false information in monthly returns in Form F1, F2, F3; by the due date	Rs 10,000/- per day after due date of submission of return as specified in the Rule till rectification of violation	In case of referred back returns by Indian Bureau of Mines for incorporating necessary corrections, to be undertaken by the lease holder, and if corrected within the allotted time limit and accepted thereafter by the
Non-submission or incomplete/ wrong/ false information in annual returns in Form G1, G2, G3; by the due date	Rs 10,000/- per day after due date of submission of return as specified in the Rule till rectification of violation	

Non-submission or incomplete/ wrong/ false information in monthly returns in Form L; by the due date	Rs 5,000/- per day after due date of submission of return as prescribed in the Rule till rectification of violation	Indian Bureau of Mines, no amount will be payable for the intervening period for such corrections.
Non-submission or incomplete/ wrong/ false information in annual returns in Form M; by the due date	Rs 5,000/- per day after due date of submission of return as prescribed in the Rule till rectification of violation	Failure to rectify in such cases will attract the payment as specified.

Schedule III

[see rule 62(2)]

Rules whose contravention shall be punishable with fine

Rule No.	Marginal heading of the Rule	Amount of Fine (in Rs.)
(1)	**(2)**	**(3)**
Sub-rule (4) of rule 11	Mining operations under mining lease	2,000/- per day, subject to maximum 5,00,000/-
12	Prospecting and mining operations	5,00,000/-
18	Beneficiation studies to be carried out	5,00,000/-
19	Machinery and plant	5,00,000/-
20	Notice for opening of mine	5,00,000/-
23	Submission of progressive mine closure plan	5,00,000/-
28	Notice of temporary discontinuance of work in mines and obligations of lease holders.	5,00,000/-
29	Intimation of reopening of a mine	5,00,000/-
46	Notice of certain appointments	2,000/- per day, subject to maximum 1,00,000/-
51	Notice of amalgamation of mining lease	Rs 2,000/- per day after due date as prescribed in the Rule, subject to maximum 1,00,000/-
55	Employment of geologists and mining engineers	5,00,000/- ”.

[F. No. M.VI-8/1/2021-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 169(E), dated the 27th February, 2017 and lastly amended *vide* number G.S.R. 570(E), dated 13th August, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.